भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3281

जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

मुंबई में न्यायालयों में लंबित मामले

3281. श्री संजय दिना पाटील :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेषकर देश की वित्तीय और वाणिज्यिक राजधानी के रूप में मुंबई के महत्व को ध्यान में रखते हुए, विगत तीन वर्षों के दौरान मुंबई में कार्यशील न्यायालयों में सिविल, आपराधिक और वाणिज्यिक मामलों के लंबित होने के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा मुंबई में न्यायिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने, न्यायालय परिसरों के निर्माण, अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना और ई-कोर्ट परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता, आरंभ की गई अवसंरचना परियोजनाओं और प्रौद्योगिकीय पहलों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने मुंबई में न्यायिक अधिकारियों, न्यायालय कक्षों, डिजिटल अवसंरचना और सहायक कर्मचारियों की कमी की पहचान की है, जिससे मामलों का समय पर निपटान होना प्रभावित हुआ है और यदि हाँ, तो इस संबंध में की गई/की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार द्वारा मुंबई में लंबित मामलों को कम करने, न्यायिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने, डिजिटल न्यायालय सेवाओं का विस्तार करने और वादियों के लिए त्वरित एवं सुलभ न्याय में सुधार हेतु क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : पिछले तीन वर्षों के दौरान मुंबई में कार्यरत न्यायालयों में सिविल, दांडिक और वाणिज्यिक मामलों की लंबितता का विवरण **उपाबंध** में है ।

(ख) : जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के पास है । तथापि, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए, केंद्रीय सरकार 1993-94 से केंद्र और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के बीच विहित निधि साझाकरण पैटर्न में वित्तीय सहायता प्रदान करके जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) कार्यान्वित कर रही है । इस स्कीम के आरंभ से महाराष्ट्र राज्य को 1127.89 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में, महाराष्ट्र राज्य के लिए 27.05 करोड़ रुपये का अनंतिम आबंटन किया गया है, जिसमें से 13.525 करोड़ रुपये की रकम के लिए मांग स्वीकृति जारी की गई है ।

मुम्बई उच्च न्यायालय और मुम्बई में सभी कार्यशील न्यायालयों को ई-न्यायालय योजना के अधीन उपबंधानुसार आवश्यक आईसीटी अवसंरचना से सुसज्जित किया गया है । इसके अलावा, मुम्बई शहर में 13 ई-सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं और आवश्यक अवसंरचना से सुसज्जित हैं । वित्तीय वर्ष 2025-26 में ई-न्यायालय परियोजना के अधीन मुम्बई उच्च न्यायालय को 104.32 करोड़ रुपये की रकम जारी की गई है । मुम्बई उच्च न्यायालय ने 6 ऑनलाइन न्यायालयों और 6 कागजविहीन न्यायालयों की भी स्थापना की है, जो सक्षम कागजविहीन और डिजिटल न्यायालयीन कार्यवाहियों को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक आईसीटी अवसंरचना से सुसज्जित हैं ।

(ग) और (घ) : महाराष्ट्र सरकार ने पत्र 07.02.2025 के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य के लिए न्यायिक अधिकारियों के 2863 नए पदों को स्वीकृति दी है, जिससे स्वीकृत संख्या 5247 हो गई है ।

विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है । न्यायालयों में मामलों का निपटान कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों, सहायक न्यायालय कर्मचारी की उपलब्धता, भौतिक अवसंरचना, तथ्यों की जटिलता, अन्वेषण की गुणवत्ता, साक्ष्य की प्रकृति, हितधारकों जैसे बार, जांच एजेंसियां, गवाह, वादी का सहयोग शामिल है । तथापि, सरकार मामलों के शीघ्र निपटान और लंबितता को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है । न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायाधीशों की समय पर नियुक्ति, कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देना, नई दांडिक विधि 2023 का अधिनियमन और कार्यान्वयन, त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की स्थापना, न्यायालयीन प्रक्रिया की पुनर्रचना और मानव संसाधन विकास पर जोर देना सम्मिलित है ।

इसके अतिरिक्त्, माननीय मुम्बई उच्च न्यायालय की राज्य न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (एससीएमएस) समिति, जिला न्यायपालिका के न्यायालयों के समक्ष लंबित पुराने मामलों के त्वरित निपटान के लिए नवंबर 2017 से वार्षिक आधार पर कार्य स्कीम तैयार कर रही है । इस कार्य योजना का उद्देश्य पुराने मामलों का तेजी से निपटान करना है । उक्त कार्य योजना में मामलों के निपटान के लिए निश्चित समय-सीमा और पुराने मामलों के त्वरित निपटान के लिए अधिवक्ताओं, बार एसोसिएशन, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों/लोक अभियोजकों, राजस्व विभाग के वरिष्ठ नोडल अधिकारी के साथ नियमित बैठकें आयोजित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है ।

इसके अतिरिक्त, समाज के हाशिए पर और वंचित वर्गों को विधिक सहायता और न्यायालयों में प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए, 31.07.2026 तक, महाराष्ट्र और गोवा की बार काउंसिल के 845 अधिवक्ताओं को न्याय बंधु कार्यक्रम के अधीन प्रो बोनो अधिवक्ताओं के रूप में पंजीकृत किया गया है ।

उपाबंध

'मुंबई कोर्ट में पेंडिंग केस' से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3281, जिसका उत्तर तारीख 07.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

पिछले तीन वर्षों में मुम्बई में लंबित सिविल, दांडिक और वाणिज्यिक मामले													
		2023			2024			2025			2026 (04.08.2026 तक)		
क्रम सं.	ज़िला	सिविल	दांडिक	वाणिज्यिक	सिविल	दांडिक	वाणिज्यिक	सिविल	दांडिक	वाणिज्यिक	सिविल	दांडिक	वाणिज्यिक
1	मुम्बई नगर सिविल न्यायालय	10491	6082	535	17310	7046	1626	17773	9288	1157	12793	7643	686
2	मुम्बई सीएमएम न्यायालय	0	63997	0	0	95140	0	0	109444	0	0	94338	0
3	मुम्बई मोटर दुर्घटना दावा टी	943	0	0	1405	0	0	2157	0	0	1504	0	0
4	मुम्बई लघु वाद न्यायालय	2018	0	0	2586	0	0	3367	0	0	3149	0	0
	कुल	**13452**	**70079**	**535**	**21301**	**102186**	**1626**	**23297**	**118732**	**1157**	**17446**	**101981**	**686**

स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)